

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम २००९ क्र.२५ अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-४९५००९ (छ.ग.)
दूरभाष : ०७७५२-२६०२०९, फ़ैक्स : ०७७५२-२६०१५४
ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 257/बै.प्र./स्थायी समिति/2018

बिलासपुर दिनांक : 02/08/2018

॥ अधिसूचना ॥

कुलपति एवं अध्यक्ष विद्यापरिषद द्वारा प्रो० एल.पी. पटैरिया, आचार्य, सदस्य विद्यापरिषद को विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार, विद्यापरिषद की ओर से विद्यापरिषद की स्थायी समिति में नामांकित उक्त सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष के लिए अथवा विद्यापरिषद के सदस्य बने रहने तक के लिए, जो भी पहले हो, होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ०क्रमांक 258/बै.प्र./स्थायी समिति/2018

बिलासपुर दिनांक : 02/08/2018

प्रतिलिपि -

01. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. कुलपति के सचिव की ओर कुलपति महोदया के सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रो० एल.पी. पटैरिया, आचार्य, प्रबंध अध्ययन विभाग को सूचनार्थ।
04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव (कार्यवाहक)